दिनांक 31.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 46/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–हत्या करने जा रहे सुपारी किलर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

दिनांक 30.08.2025 को जनपद बहराइच के विजय सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के लिये उसके भाई के दमाद आलोक कुमार सिंह ने तीन क्रूर भाड़े के हत्यारों को हत्या की सुपरी दिया था, हत्या करने जा रहे 03 सुपारी किलर सहित हत्या कराने वाले आलोक कुमार सिंह को एसटीएफ टीम ने पुलिस मुठभेड़ में थाना क्षेत्र थाना कैसरगंज जनपद बहराइच उत्तर–प्रदेश से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– साकेत रावत पुत्र मेवालाल नि0– अकोहरा, थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी ।

2– परशुराम मौर्य पुत्र अंगद प्रसाद नि0– बैराकिया पोस्ट सिरौली गौसपुर, थाना बदोसरायों, बाराबंकी।

3– प्रदीप यादव पुत्र रामसागर नि0– ग्राम बरौलिया पोस्ट सिरौली गौसपुर, थाना बदोसरायों, बाराबंकी।

4– आलोक कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय हरिद्वार सिंह निवासी हाजीपुर, थाना घुंघटेर, जनपद बाराबंकी।

बरामदगी :–

1– एक अद्द रिवाल्वर 32 बोर

2– दो अद्द पिस्टल 7.65 एमएम

3– दो अद्द मैगजीन

4– चार अद्द जिन्दा कारतूस 32 बोर

5– दो अद्द जिन्दा व दो अद्द खोखा कारतूस 7.65 एमएम

6– एक अद्द मोटर साइकिल पैसन प्रो UP32JU0967

पुलिस मुठभेड़ का स्थान, दिनांक व समय :–

कडशर भिटौरा मोड, थाना क्षेत्र कैसरगंज, जनपद बहराइच, दिनांक 30–08–2025 समय 20:30 बजे।

एसटीएफ उ०प्र० द्वारा फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही है। अभिसूचना संकलन के इसी क्रम में जेल से छूटे कई दूर्दान्त अपराधिओं की निगरानी एवं मुखबिर की सूचना व एसटीएफ की विशेषताओं के कारण सुपारी देकर हत्या कराने जैसी सनसनीखेज घटना होने के पूर्व ही ज्ञात हो गया कि दिनांक 30.08.2025 को जनपद बहराइच के एक विजय सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या होने वाली है, जिस हेतु श्री धर्मेश कुमार शाही पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ को तत्काल अभिसूचना संकलन कर भाड़े के हत्यारों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया, जिससे होने वाली हत्या जैसी जघन्य घटना को समय रहते रोका जा सके।

उक्त निर्देशों के क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह, उप निरीक्षक अरशद खॉन, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 सुशील सिंह, मु0आ0 राजीव कुमार, आरक्षी बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी, अमित ़त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव की एक टीम गठित कर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

अभूिसचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि विजय सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के लिये उसके भाई के दमाद आलोक कुमार सिंह ने तीन क्रूर भाड़े के हत्यारों को हत्या की सुपरी दी है, जिस हेतु हत्या के लिये जा रहे तीनों शूटर एवं हत्या करने वाले आलोक सिंह कडशर भिटौरा मोड, थाना क्षेत्र कैसरगंज, जनपद बहराइच के पास है। इस सूचना पर उक्त टीम जो जनपद बहराइच पर अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणशील थी, द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए मुखबिर के बताये स्थान पर पॅहुच कर घेराबन्दी की तभी कुछ दूर पर खड़े चार लोग दिखाई दिये, एसटीएफ की टीम जैसे पहचानने व पूछताछ हेतु आगे बढ़ी वसै ही वहॉ खड़े सन्दिग्ध लोगों ने फायर कर दिया। फायर से एसटीएफ की टीम अभियुक्तों की गोली से बाल–बाल बची, जवानों की रक्षा एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सिखलाये गये तरीके से संयमित फायर करते हुये सभी सन्दिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमे से एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया। पूछताछ में उसने अपना नाम परशुराम मौर्य बताया, जिसे इलाज हेतु तत्काल नजदीकि सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र कैसरगंज भेजा गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अन्य अभियुक्त प्रदीप यादव ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही मेरी व परशुराम मौर्य की मुलाकात आलोक सिंह से हुयी थी, जिसमें आलोक सिंह ने बताया की विजय सिंह मेरे ससुर का भाई है जिससे मेरे जमीनी विवाद चल रहा हैं, उसने मुझे

परेशान कर रखा है। उसकी हत्या बहुत जरूरी है, पैसा जो लगेगा मै दूंगा। बात फायदे की लगी। मै व परशुराम लगभग 18– 18 वर्ष आजीवन कारावास की सजा काट कर जेल से छूटे थे, मेरे साथ में भी जेल में आजीवन करावास की सजा काट कर लगभग 12 वर्षो के बाद साकेत रावत भी जेल से छूटा था। पैसे की जरूरत व लालच में आकर मै प्रदीप यादव, परशुराम व साकेत रावत ने विजय सिंह की हत्या की सुपारी 10 लाख रूपये में ले ली, हत्या में आने वाले खर्चे के लिये कुछ पैसे आलोक सिंह ने एडवांस में भी दिये थे। आज हम लोग विजय सिंह उपरोक्त की हत्या करने जा रहे थे। हम लोग आलोक से उसके बारे में कुछ जानकारी ले रहे थे तभी आप लोग आ गये, गिरफ्तारी से बचने के लिये हम लोगों ने आप लोगों पर फायर कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच में मु0अ0सं0 273/2025 धारा 3(5),109,61(2) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त साकेत रावत उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	229/2013	3/4 गुण्डा नियन्त्रण अधि0	बद्दोसराय	बाराबंकी
2	118/1996	60 आबकारी अधि0	बद्दोसराय	बाराबंकी
3	133/2002	392 भादवि आजीवन कारावास (सिद्ध दोष)	दरियाबाद	बाराबंकी
4	145/2002	8/22 एनडीपीएस एक्ट	दरियाबाद	बाराबंकी
5	623/2011	302/504/506 भादवि	बद्दोसराय	बाराबंकी

<u>गिरफ्तार अभियुक्त परशुराम मौर्य उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	130/2005	147/148/149/302/307 भादवि आजीवन कारावास (सिद्ध दोष)	रामसनेहीघाट	बाराबंकी
2	129/2005	307 भादवि	रामसनेहीघाट	बाराबंकी

<u>गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप यादव उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	130/2005	147/148/149/302/307 भादवि आजीवन कारावास (सिद्ध दोष)	रामसनेहीघाट	बाराबंकी
2	129/2005	307 भादवि	रामसनेहीघाट	बाराबंकी

जनपद चन्दौली/थाना मुगलसराय

- **50–50 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 31.08.2025 को थाना मुगलसराय व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीटीआर ब्रिज के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–रोशन 2–रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना मुगलसराय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50–50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुगलसराय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोशन निवासी ग्राम नसीरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर।

2–रोहित निवासी जगतगंज थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1–07 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना मिश्रौलिया

- **पुलिस कार्यवाही में 30 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30/31.08.2025 को थाना मिश्रौलिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौडिहवा जंगल तिराहा के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की

घेराबन्दी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मुकेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मिश्रौलिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 30 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मिश्रौलिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुकेश निवासी नागचौरी थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 30.08.2025 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त पारस को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पारस निवासी मिनी चण्डीगढ़ कोटकपुरा रोड जनपद मोगा पंजाब।

जनपद रामपुर/थाना गंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.08.2025 को थाना गंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त इदरीश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गंज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इदरीश निवासी मो0घेरपूरन सिंह झण्डा पीला तालाब थाना गंज जनपद रामपुर।

जनपद बस्ती/थाना नगर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.08.2025 को थाना नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर संसारपुर फुटहिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–इन्द्रेश कुमार 2–अरविन्द कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इन्द्रेश कुमार थाना नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इन्द्रेश कुमार निवासी कौड़ी कोल बुजुर्ग थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।

2–अरविन्द कुमार निवासी अक्षतपुर थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लिंक रोड

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 चार पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 31.08.2025 को थाना लिंक रोड व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे पुल के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–फारूख 2–शाहनवाज उर्फ गोलू घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 02 चार पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना लिंक रोड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फारूख निवासी ग्राम सौंदा थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–शाहनवाज उर्फ गोलू निवासी सलमानी मोहल्ला, बेगमाबाद कस्बा व थाना मोदीनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 02 चार पहिया वाहन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 40 बैट्री**
- **चोरी के माल बिक्री के 04 हजार 500 रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 31.08.2025 को थाना कोतवाली, थाना वाल्टरगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मूडघाट पुल के पास से अभियुक्त 1–अभय

2—अजीत 3—राजन 4—लतीफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्च 5—कान्हा उर्फ आर्यन 6—सुभाषचन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 40 बैट्री, चोरी के माल बिक्री के 04 हजार 500 रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभय निवासी ग्राम तुरकौलिया बरगाह थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

2—अजीत निवासी ग्राम तिलकपुर थाना नगर जनपद बस्ती।

3—राजन निवासी ग्राम लोहरौली थाना नगर जनपद बस्ती।

4—लतीफ निवासी ग्राम नीलगांव थाना अटरिया जनपद सीतापुर।

5—कान्हा उर्फ आर्यन निवासी त्रिवेणी नगर द्वितीय लखनऊ।

6—सुभाषचन्द्र निवासी ग्राम बढ़नी थाना नगर जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—चोरी की 40 बैट्री।

2—चोरी के माल बिक्री के 04 हजार 500 रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद चन्दौली/थाना कोतवाली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 02 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 31.08.2025 को थाना कोतवाली चन्दौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त रौशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 02 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रौशन कुमार निवासी ग्राम लेम थाना चतरा जनपद चतरा झारखण्ड।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 02 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम।

————————